निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़ 1941 (श0)
(सं0 पटना 768) पटना, बुधवार, 3 जुलाई 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
3 जुलाई 2019

एस० ओ० 319 दिनांक 3 जुलाई 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त 1.5 करोड़ रुपयों से अधिक है, जुलाई 2019 से सितंबर, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उस मास के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन तक बिहार माल और अधिनियम 2017, के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने की समय सीमा को विस्तारित करते हैं ।

2. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2019 से सितम्बर, 2019 मास के लिए ब्यौरों या विवरणी देने के लिए समय सीमा, यथास्थिति, को पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।

[(सं० बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017 (खंड–5) 1908)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

3 जुलाई 2019

एस० ओ० 319, दिनांक 3 जुलाई 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–5) 1908)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 3rd July 2019

S.O. 319, Dated 3rd July 2019— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from July, 2019 to September, 2019 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2019 to September, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-) 1908)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 768-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in